

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 34/2018

अपीलांट्स-

जीयाराम पुत्र गुमनाराम जाति
जाट निवासी गादेवी (बांटा)
तहसील गुड़ामालानी जिला
बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स -

1. खेताराम पुत्र गुमनाराम (फोट) के
कायम मुकाम
- 1.1 हेमाराम पुत्र खेताराम
- 1.2 चिमनाराम पुत्र खेताराम
- 1.3 नाथाराम पुत्र खेतारा
2. चूनाराम पुत्र गुमनाराम (फोट) के
कायम मुकाम
- 2.1 जोगाराम पुत्र चूनाराम
- 2.2 जसराज पुत्र चूनाराम
- 2.3 केसीदेवी पत्नी चूनाराम
3. हीराराम पुत्र पेमाराम
4. मानाराम उर्फ मानसिंह पुत्र गुमनाराम
5. हुकमाराम पुत्र गुमनाराम
6. आईदानराम पुत्र गुमनाराम
7. दमाराम पुत्र गुमनाराम
8. ठाकराराम पुत्र गुमनाराम
जाति जाट निवासी गादेवी (बांटा)
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. तहसीलदार गुड़ामालानी




राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,
1955 विरुद्ध आदेश दिनांक 14.12.2004 जो तहसीलदार गुड़ामालानी
द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :-

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से8 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 9 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27/08/2019


अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 14.12.2004 के विरुद्ध पेश की गई हैं।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा गादेवी के खसरा नम्बर 69, 70, 71, 101, 227, 254, 73 रकबा कुल 151-18 बीघा के खातेदारान खेताराम, चूनाराम, जीयाराम, पेमाराम, मानाराम, हुकमाराम, आईदानराम, दमाराम, ठाकराराम पि० गुमनाराम कौम जाट सा० देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2004 तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी बांटा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबन्दी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है मौके पर सहखातेदारान विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 07 दिनांक 14.12.2004 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.08.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।



अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट्स सं. 1 से 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 14.12.2004 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलकर्ता एवं रेस्पोंडेंट ने कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। पक्षकारान अनपढ़ होने से विश्वास में तैयार विभाजन प्रस्ताव पर अंगुष्ठ-हस्ताक्षर कर कदीमी मौका कब्जा-काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष पेश हुए। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत विभाजन नक्शा एवं मौके पर कब्जा-काश्त में तरमीम में भिन्नता होने के कारण

अपर कलक्टर वाडमैर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट व रेस्पोंडेंट्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृति से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई और न ही मौके पर जाकर पैमाईश कर भूमि की गुणवत्ता, भौतिक स्थिति व रास्ता की उपयोगिता को ध्यान में रखा गया। इस प्रकार विभाजन करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं करने से यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना एवं राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश काबिल अपास्त है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि एक माह पूर्व जब अपीलांट अपने कब्जे-काश्त की भूमि में काश्त करने लगे तब रेस्पोंडेंट्स द्वारा काश्त करने पर विरोध किया गया। अपीलांट को बताया गया कि बंटवाड़ा में यह जमीन रेस्पोंडेंट के नाम हो गई है इस कारण अपीलांट को इस जमीन पर काश्त करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली तब सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अपीलाधीन आराजी गलत रूप से बंटवारा करवा दिया गया। इस प्रकार जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है जो उल्लेखित आधार पर विलम्ब को क्षमा कर स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन विभाजन आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

6. रेस्पोंडेंट्स संख्या 1से8 के योग्य अधिवक्ता ने अपीलांट की अपील के तथ्यों को स्वीकार कर जवाब में प्रकट किया कि अपीलाधीन विभाजन सहमति से अवश्य हुआ था किन्तु इससे पूर्व मौके कब्जे की जांच एवं पैमाईश नहीं होने से कब्जे एवं रेकर्ड में भिन्नता आ रही है तथा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया है। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावें कि मौके कब्जे की जांच एवं पैमाईश उपरांत पक्षकारान के हिस्सा अनुसार विभाजन की कार्यवाही नये सिरे से करें।

7. हमने दोनों अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा गादेवी के खसरा नम्बर 69, 70, 71, 101, 227, 254, 73 रकबा कुल 151-18 बीघा के खातेदारान खेताराम, चूनाराम, जीयाराम, पैमाराम, मानाराम, हुकमाराम, आईदानराम, दमाराम, ठाकराराम पि0 गुमनाराम कौम जाट सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2004 तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष



अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पक्षकारान की सहमति एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर विभाजन एग्रीमेंट स्वीकार कर रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु अपीलाधीन आदेश जारी किया। अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट्स का कथन है कि उक्त विभाजन से पूर्व मौके पर कब्जे-काश्त की जांच एवं पैमाईश नही होने से मौके कब्जे एवं नक्शा में तरमीम में भिन्नता आ रही है, जिसके फलस्वरूप पक्षकारान के आपस में विवाद उत्पन्न हो गया है। इसके समाधान हेतु सभी पक्षकारान ने नये सिरे से विभाजन कराये जाने हेतु सहमति प्रकट की है, लिहाजा पक्षकारान की सहमति के आधार पर अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच कब्जे-काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 14.12.2004 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलेक्टर,
बाड़मेर
अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)